



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102024-257834
CG-DL-E-14102024-257834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4046]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4046]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4409(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3149(अ) तारीख 06/08/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (नया एन. एच. 58) ब्यावर से गोमती खण्ड पेकज-1) के कि.मी. 58.245 से कि.मी.108.600 तक के भूखण्डपर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 अगस्त, 2024" को "प्रातःकाल" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (नया एन. एच. 58) ब्यावर से गोमती खण्ड पेकज-1) के कि.मी. 58.245 से कि.मी.108.600 तक (अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, राजसमंद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: राजसमंद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भीम					
गांव का नाम: भीम					
1	10515/9900	निजी (गै.मु. आबादी)	गै.मु. आबादी	0.0144	1. नगरपालिका भीम हिंसा - पूर्ण विभागीय खाते 10515/9900
Total				0.0144	

[फा. सं. RW/NH-37014/2/2012-NHDP-IVA/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4409(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 3149 (E) dated 06-08-2024, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Toll Plaza Maintenance, Management and operation of National Highway No.- 8 (New NH-58) from Km 58.245 to Km 108.600 (Beawar to Gomti Section Package-1) (office of Additional District Collector, Rajsamand) in Dist. Rajsamand in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pratahkal” and “Times of India” date 28.08.2024 ; under sub section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 3-C, considered and settled the same appropriately ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH- 8(New NH-58) from Km 58.245 to Km 108.600 (Beawar to Gomti Section Pakage-1) in Dist. Rajsamand in the state of Rajasthan

State: RAJASTHAN			District: RAJSAMAND		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhim					
Village: Bhim					
1	10515/9900	Private (Ga.Mu. Aabadi)	Ga.Mu. Aabadi	0.0144	1. Nagarpalika Bhim Share - Full Departmental Accounts 10515/9900
Total				0.0144	

[F. No. RW/NH-37014/2/2012-NHDP-IVA/3D]

ABHAY JAIN, Director